

प्रारूप 'ख'
[देखिये नियम 9 (3),(4)और(6)]
कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक:एफ.12-3()राजस्व/संप./17/ 2220

दिनांक: 10.7.19

संपरिवर्तन आदेश

शाहनवाज के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम तथा पूरा पता	श्री शाहनवाज पुत्र शहाबुद्दीन कौम मुसलमान साकिन लूनकरनसर जिला बीकानेर			
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	नहीं			
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा				
क	ग्राम/ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	चक 2 बीएचएम तहसील लूनकरनसर			
ख	भूमि का ख.नं. और प्रत्येक ख.नं. का क्षेत्रफल	मुख्या नम्बर 105/15 किला नम्बर 5/1, 6, 7/1, 15/1 तादादी 1.16 बीघा			
ग	प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (4556 वर्गमी)	मुख्या नम्बर 105/15 किला नम्बर 5/1, 6, 7/1, 15/1 तादादी 1.16 बीघा अर्थात 4556 वर्गमीटर			
टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है		भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की			
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ			
5.	संदेय प्रीमियम की दरें	रु. 10/- प्रति वर्गमीटर			
6.	चालान की संख्या तथा दि. सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	चा.सं.	जमा दि.	राशि	मद
		31016229	11.06.2019	45,560.00	0029 भू-राजस्व
7.	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	---			
8.	चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य			
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	---			
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	---			
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी होगा					

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

- उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन भी समपहृत हो जायेगा।
- नियम - 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- आवेदक को राष्ट्रीय राजमार्ग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/अन्य मार्ग से पेट्रोल पम्प तक जाने के लिए रास्ता चाहने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकारीता से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुए शेष भूमि पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु उपयोग में ली जावेगी।
- पेट्रोल पम्प का निर्माण संबंधित कंपनी के निर्धारित मानक स्तरों/नियमों के अनुरूप किया जाना जरूरी है।
- पेट्रोल पम्प स्थापित करने से पूर्व केन्द्रीय विस्फोटक विभाग से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।
- अग्निशमन व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक व्यवस्थायें तत्संबंधित प्रावधानित नियमों/विनियमों के अनुसार की जाना जरूरी है।
- संपरिवर्तित भूमि में यदि कोई वृक्ष हो तो आवेदक को उसे हटायें जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह एक वर्ष की अवधि में हटायें गये वृक्षों की संख्या के तीन गुणा घने व छायादार वृक्षों का पौधारोपण करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवेदक से प्रति वर्ष रु. 500/- का जुर्माना राजस्व मद में वसूल किया जायेगा, जो कि उस अवधि तक जारी रहेगा जब तक कि पूर्ण पौधारोपण नहीं कर दिया जावे।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर
बीकानेर

दिनांक: 10.07.19

क्रमांक:एफ.12-3()राजस्व/संप./17/ 2224-25
प्रतिलिपि :-

- प्रमारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
- उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर।
- तहसीलदार, लूनकरनसर को पालनार्थ।
- ✓ श्री शाहनवाज पुत्र शहाबुद्दीन कौम मुसलमान साकिन लूनकरनसर जिला बीकानेर।
- रक्षित पत्रावली।

अति जिला कलक्टर

प्रारूप 'ख'
[देखिये नियम 9 (3),(4)और(6)]
कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक:एफ.12-3()राजस्व/संप./17/3220

दिनांक: 10-7-19

संपरिवर्तन आदेश

शाहनवाज के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.6(26)राज-6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गयी है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम तथा पूरा पता	श्री शाहनवाज पुत्र शहाबुदीन कौम मुसलमान साकिन लूनकरनसर जिला बीकानेर			
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	नहीं			
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा				
क	ग्राम/ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	चक 2 बीएचएम तहसील लूनकरनसर			
ख	भूमि का ख.नं. और प्रत्येक ख.नं. का क्षेत्रफल	मुरब्बा नम्बर 105/15 किला नम्बर 5/1, 6, 7/1, 15/1 तादादी 1.16 बीघा			
ग	प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (4556 वर्गमी.)	मुरब्बा नम्बर 105/15 किला नम्बर 5/1, 6, 7/1, 15/1 तादादी 1.16 बीघा अर्थात 4556 वर्गमीटर			
टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है		भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की			
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ			
5.	संदेय प्रीमियम की दरें	रु. 10/- प्रति वर्गमीटर			
6.	चालान की संख्या तथा दि. सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	चा.सं.	जमा दि.	राशि	मद
		31016229	11.06.2019	45,560.00	0029 भू-राजस्व
7.	चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	---			
8.	चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य			
9.	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	----			
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	----			

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन भी समपहृत हो जायेगा।
3. नियम - 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. आवेदक को राष्ट्रीय राजमार्ग/सार्वजनिक निर्माण विभाग/अन्य मार्ग से पेट्रोल पम्प तक जाने के लिए रास्ता चाहने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकारिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
5. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुए शेष भूमि पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु उपयोग में ली जायेगी।
6. पेट्रोल पम्प का निर्माण संबंधित कंपनी के निर्धारित मानक स्तरों/नियमों के अनुरूप किया जाना जरूरी है।
7. पेट्रोल पम्प स्थापित करने से पूर्व केन्द्रीय विस्फोटक विभाग से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।
8. अग्निशमन व्यवस्था एवं सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ तत्संबंधित प्रावधानित नियमों/विनियमों के अनुसार की जाना जरूरी है।
9. संपरिवर्तित भूमि में यदि कोई वृक्ष हो तो आवेदक को उसे हटाये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह एक वर्ष की अवधि में हटाये गये वृक्षों की संख्या के तीन गुणा घने व छायादार वृक्षों का पौधारोपण करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर आवेदक से प्रति वर्ष रु. 500/- का जुर्माना राजस्व मद में वसूल किया जायेगा, जो कि उस अवधि तक जारी रहेगा जब तक कि पूर्ण पौधारोपण नहीं कर दिया जावे।

80

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर
बीकानेर

दिनांक: 07/07/19

क्रमांक:एफ.12-3()राजस्व/संप./17/3221-25
प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
2. उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर।
3. तहसीलदार, लूनकरनसर को पालनार्थ।
4. श्री शाहनवाज पुत्र शहाबुदीन कौम मुसलमान साकिन लूनकरनसर जिला बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

11
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर